छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा द्वादश सत्र अंक-15

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च, 2013

(फाल्गुन-17, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1.प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 09 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्न संख्या 08 के प्रस्तुतकर्ता सदस्य श्री नंदकुमार पटेल के स्थान पर श्री धर्मजीत सिंह सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 21 तारांकित एवं 34 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश की सभी महिलाओं को एवं महिला जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए अपने उद्गार व्यक्त किए।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री देवजी पटेल, कुलदीप सिंह जुनेजा सदस्य ने रायपुर शहर में मच्छरों के प्रकोप से मलेरिया और डेंगू बीमारी फैलने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री महंत रामसुंदर दास, सदस्य ने जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र की नदियों में उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण न होने से आम जनता को परेशानी होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. नियम 267 क के अंतर्गत विषय

(1) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य ने सोंढूर बांध के अंतर्गत लाइनिंग कार्य में अनियमितता किये जाने,

(2) श्री परेश बागबाहरा, सदस्य ने खल्लारी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत जर्जर प्राथमिक शाला भवनों की मरम्मत किये जाने,

(3) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने रामबांधा तालाब की भूमि का अन्य संस्थाओं को आबंटन किये जाने,

(4) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने राजस्व अधिकारियों द्वारा अनियमितता किये जाने, तथा

(5) श्री शिवराज सिंह उसारे, सदस्य ने भौरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने द्वारा किसानों का गन्ना नहीं खरीदे जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी ।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार श्री परेश बागबाहरा, सदस्य की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गयी ।

6. समितियों का निर्वाचन

(1) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिए वित्तीय वर्ष 2013-2014 की अवधि के लिए नौ-नौ सदस्य निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति

श्री केदारनाथ कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2013-2014 की अवधि के लिए 09 सदस्य जिनमें से क्रमशः तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में बुधवार, दिनांक 13 मार्च, 2013 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं।
2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा शुक्रवार दिनांक 15 मार्च, 2013 को अपराह्न 1.30 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-1 में होगी।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना सोमवार, दिनांक 18 मार्च, 2013 को अपराह्न 1.30 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है ।
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान मंगलवार, दिनांक 19 मार्च, 2013 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में होगा ।

   निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।

   उपर्युक्त, निर्वाचन में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित **सूचना कार्यालय** से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

7.वर्ष 2013-2014 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

(1) माननीय राजस्व मंत्री के विभागों की मांगो पर पुनर्ग्रहित चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः-

डॉ.हरिदास भारद्वाज,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री विरेन्द्र कुमार साहू, (अग्नि चंद्राकर-अनुपस्थित), डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, (डॉ.) कृष्णमूर्ति बांधी, धर्मजीत सिंह,

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री खेदूराम साहू, लेखराम साहू, नंदकुमार साहू, ह्दयराम राठिया, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, श्री दूजराम बौद्ध,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री शिवराज सिंह उसारे, परेश बागबाहरा।

श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित मांग संख्या 19, चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 79, वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 7, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय से संबंधित मांग संख्या 22, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण से संबंधित मांग संख्या 69, नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 81 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-19 पर डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, डॉ. हरिदास भारद्वाज, सर्वश्री रामदेव राम, सौरभ सिंह, हृदयराम राठिया, भजन सिंह निरंकारी, श्रीमती अंबिका मरकाम **मांग संख्या-79 पर** डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, डॉ. हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-7 पर** डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, डॉ. हरिदास भारद्वाज, सर्वश्री भजन सिंह निरंकारी, रामदेव राम, सौरभ सिंह, **मांग संख्या-22 पर** डॉ. हरिदास भारद्वाज, डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सर्वश्री भजन सिंह निरंकारी, सौरभ सिंह, **मांग संख्या-69 पर** डॉ. हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-81 पर** डॉ. हरिदास भारद्वाज एवं श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री भजन सिंह निरंकारी, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की। (चर्चा अपूर्ण)

8. अशासकीय संकल्प

(1) "यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि चकरभांठा (बिलासपुर) से नियमित विमान सेवा चालू की जाय ।"

श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

सर्वश्री हृदयराम राठिया, राजूसिंह ठाकुर, दूजराम बौद्ध, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने संकल्प में संशोधन प्रस्तुत किया कि- *चकरभांठा, बिलासपुर के साथ ही जगदलपुर, अंबिकापुर जोड़ते हुए नियमित विमान सेवा चालू की जाये।*

माननीय सदस्य ने संशोधन पर सहमति व्यक्त की ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तद्नुसार "यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि चकरभांठा (बिलासपुर) *जगदलपुर, अंबिकापुर* से नियमित विमान सेवा चालू की जाय ।"

यथासंशोधित संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(2) "सदन का यह मत है कि " प्रदेश में महापुरूषों के नाम से संचालित शासकीय संस्थाओं में उनके जन्मदिवस एवं पुण्यतिथि के अवसर पर संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया जाकर श्रेष्ठ वक्ताओं को पुरस्कृत किया जाय।"

श्री महंत रामसुंदर दास, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि संकल्प में एक संशोधन की सूचना प्राप्त हुई है तथा नियम 123(2) को शिथिल कर संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने संकल्प में संशोधन प्रस्तुत किया कि - संकल्प में शब्द संचालित के पश्चात शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक शब्द प्रतिस्थापित किया जाय ।

संशोधन प्रस्तुत हुआ।

यथा संशोधित संकल्प पर निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री देवजी पटेल, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्रीमती अंबिका मरकाम।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया। तद्नुसार "सदन का यह मत है कि " प्रदेश में महापुरूषों के नाम से संचालित शेक्षणिक एवं सांस्कृतिक शासकीय संस्थाओं में उनके जन्मदिवस एवं पुण्यतिथि के अवसर पर संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया जाकर श्रेष्ठ वक्ताओं को पुरस्कृत किया जाय।"

यथासंशोधित संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(3) "यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि " छत्तीसगढ़ प्रदेश में वन क्षेत्र में रहने वाले यादव तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आदिवासियों के समान वनभूमि पट्टे दिये जाएं ।"

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि संकल्प में एक संशोधन की सूचना प्राप्त हुई है तथा नियम 123(2) को शिथिल कर संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

श्री दीपक कुमार पटेल, सदस्य ने संकल्प में संशोधन प्रस्तुत किया कि - संकल्प में यादव तथा अन्य पिछड़ा शब्दों के स्थान पर गैर आदिवासी शब्द प्रतिस्थापित किया जाय ।

संशोधन प्रस्तुत हुआ।

यथा संशोधित संकल्प पर निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री दीपक कुमार पटेल, विरेन्द्र कुमार साहू एवं श्री चंद्रशेखर साहू-कृषि मंत्री।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया। माननीय सदस्य ने संशोधन पर सहमति व्यक्त की । तद्नुसार "यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि " छत्तीसगढ़ प्रदेश में वन क्षेत्र में रहने वाले गैर आदिवासी वर्ग के लोगों को आदिवासियों के समान वनभूमि पट्टे दिये जाएं ।""

यथासंशोधित संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

सायं 5.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनाँक 11 मार्च, 2013 (फाल्गुन, 20 शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा